



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति नग्न, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या -582-अ0प्र0-07/पाकालि/16-22-अ0प्र0-07/15

दिनांक 20/02/2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा 3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 में निर्दिष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-2608/2011 एवं समविषयक सहबद्ध अन्य अपीलस में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय में Ultra Vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 के माध्यम से अंगीकृत किये जाने के उपरान्त, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात, पूर्व में प्रोन्नत तथा वर्तमान में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अभियन्ताओं को, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) से प्राप्त 40% प्रोन्नति कोटे में उनकी पात्रता से सम्बन्धित छान समिति (Screening Committee) की आख्या के आधार पर निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी पूर्व में निर्गत कारपोरेशन आदेश को निर्गमन की तिथि से निरस्त करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत करते हुए तदक्रम में पोषक संवर्ग की एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से एतद्वारा सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

40% प्रोन्नति कोटा-विद्युत एवं यांत्रिक

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम /श्रेणी /प्रोन्नति कोटा/वरिष्ठक्र0 सर्वश्री	पूर्व में आवटित अभिज्ञान संख्या	सहायक अभियन्ता (वि0 एवं या0) के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेश का विवरण	धारा-3(7) के माध्यम से प्राप्त की गई प्रोन्नति को स्तम्भ-4 में अंकित प्रोन्नति आदेश के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पदनाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गई प्रोन्नति का पदनाम/तिथि	नव आवटित अभिज्ञान संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	रोशन लाल (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7745)	2010348	पत्र सं0-2459-अ0प्र0-07, दिनांक 24.12.2010	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता /05.06.2012	20123612010348
2	नरेन्द्र कुमार (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7746)	2010349	पत्र सं0-2460-अ0प्र0-07, दिनांक 24.12.2010	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता /05.06.2012	20123622010349
3	कायम सिंह निगम (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7748)	2010350	पत्र सं0-2459-अ0प्र0-07, दिनांक 24.12.2010	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता /05.06.2012	20123632010350
4	शेर सिंह (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7749)	2010351	पत्र सं0-2459-अ0प्र0-07, दिनांक 24.12.2010	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता /05.06.2012	20123642010351
5	विजय शंकर (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7751)	2010352	पत्र सं0-2459-अ0प्र0-07, दिनांक 24.12.2010	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता /05.06.2012	20123652010352
6	अशोक कुमार (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7761)	2010353	पत्र सं0-2461-अ0प्र0-07, दिनांक 24.12.2010	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता /05.06.2012	20123662010353
7	राम अचल (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7763)	2010354	पत्र सं0-2458-अ0प्र0-07, दिनांक 24.12.2010	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता /05.06.2012	20123672010354

उपरोक्त के फलस्वरूप स्तम्भ-3 में अंकित, पूर्व में आवटित अभिज्ञान संख्या इस आदेश के निर्गमनोपरान्त निष्प्रभावी होगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-582-अ0प्र0-07/पाकालि/2016/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ, केस्को, कानपुर तथा उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ तैनात कार्मिकों को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल अवमुक्त करवाने का कष्ट करें एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका सं0-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्वि-सदस्यीय समिति का यथावांछित अनुमोदन प्राप्त कर, उनकी पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं0-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम/इकाई प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (01/02), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
11. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब) उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
13. संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव